तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामजीलाल बनाम लक्ष्मीनारायण 2017/00047	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई । रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । प्रकरण में विद्वारन अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तहसीलदार, निवांई द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 7313 दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 3053 रकबा 16.06 बीघा जो कि कस्बा निवाई, जिला टोक अवस्थित है, के खातेदार श्रवणी देवी पत्नि प्रहलाद मीणा हिस्सा 79/326 व रामजीलाल पुत्र नारायण हिस्सा 168/326 जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 ने अपीलांट के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आराजी में आने जाने के लिये खसरा नंबर 3053 से होकर रास्ते के रूप में काम में लेते आ रहे है । उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 ने 30 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 3053 में से चाहा जिस पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 निर्णय दिनांक 17.8.2016 द्वारा स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को खसरा नंबर 3053 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 17.8.2016 के विरूद्ध भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक ने आदेश दिनांक 17.8.2016 की क्रियान्विती स्थगित कर दी जिसकी जानकारी तहसीलदार, निवाई को दिनांक 19.9.2016 को हो गई थी इसके बावजूद तहसीलदार, निवाई ने निर्णय दिनांक 14.10.2016 द्वारा नामांतकरण संख्या 7313 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है। तहसीलदार, निवाई को भू–प्रबंध अधिकारी, टोंक के स्थगन आदेश के पश्चात् नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने भू–प्रबंध अधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किया है जो निरस्त किया जावे । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं नामांतकरण संख्या 7313 दिनांक 14.10.2016 का अवलोकन किया । नामांतकरण संख्या 7313 दिनांक 14.10.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी, निवाई के निर्णय दिनांक 17.8.2016 की पालना में खसरा नंबर 3053 रकबा 16–06 बीघा में से रकबा 0.03	

बीघा भूमि गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कर दिनांक 14.10.2016 को नामांतकरण स्वीकृत किया है ।

न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकृत नामांतकरण के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का अधिकार नहीं है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1)(F) सपठित धारा 135 के अधीन भू–अभिलेख से संबंधित मामलों में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार है जबकि विवादित नामांतकरण संख्या 7313 दिनांक 14.10.2016 का मूल आधार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री है तथा मूल आदेश की पालना में खोला गया विवादित नामांतकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का Extension व Execution है एवं ऐसे मूल आदेश की अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती ही है ।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अपास्त की जाती है ।

(के0के0शर्मा)
आई0ए0एस0
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.01.17 13:29:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: